प्रेस नोट
दिनांक- 05.02.2024, थाना कटराबाजार
जनपद गोण्डा।

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा मोटर पम्प चोरी करने के शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटर पम्प बरामदः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0स0 33/2024 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित चोरी की 01 अदद मोटर पम्प के साथ शातिर अभियुक्त अफरोज उर्फ ननके गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी श्री विश्वनाथ पुत्र रामसागर पाल निवासी गडरियन पुरवा मौजा गन्डाही थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा ने दिनांक 03.02.2024 को थाना कटराबाजार पर सूचना दिये कि विपक्षी अफरोज उर्फ ननके द्वारा मेरे खेत में सिचाई के लिए लगे मोटर पम्प को चोरी कर लिया गया है, तहरीर के आधार पर थाना कटराबाजार में मु0अ0स0 33/2024 धारा 379 भादवि बनाम अफरोज उर्फ ननके के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 04.02.2024 को कटराबाजार पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत अभियुक्त- अफरोज उर्फ ननके पुत्र फारुख अहमद निवासी रंकीपुरवा मौजा गन्डाही थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 अदद चोरी गई मोटर पम्प बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर विवेचना में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अफरोज उर्फ ननके पुत्र फारुख अहमद निवासी रंकीपुरवा मौजा गन्डाही थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0स0- 033/2024 धारा 379, 411 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 01 अदद मोटर पम्प चोरी की बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह
02. का0 पंकज सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 05.02.2024, थाना इटियाथोक
जनपद गोण्डा।

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने के 02 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामदः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0स0 -46/2024, धारा 379 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश में आये शातिर अभियुक्तगण 01. बब्लू सोनकर, 02.अनिल कुमार मिश्रा को मऊ शमशाबाद के आगे जनकौरा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार उनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

आज दिनांक 05.02.2024 को उ0नि0 विवेक कुमार मय टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत चोरी की मोटरसाइकिल से साथ 02 शातिर मोटर साइकिल चोर 01. बब्लू सोनकर, 02.अनिल कुमार मिश्रा को मऊ शमशाबाद के आगे जनकौरा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया, उनके कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल डिस्कवर न0 UP47F4986 चोरी की बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना इटियाथोक में मु0अ0स0- 46/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर धारा 411 भादवि का बढोत्तरी किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना इटियाथोक में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर विधिक कार्यवाही की जा रही है

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. 1. बब्लू सोनकर पुत्र विजय कुमार सोनकर उर्फ ननके निवासी ग्राम फरेन्दा कानूनगो थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
2. अनिल कुमार मिश्रा उर्फ ननटून पुत्र राम बनारस मिश्रा निवासी ग्राम बगिया फरेन्दा कानूनगो थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0स0- 46/2024 धारा 379, 411 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. मोटरसाइकिल डिस्कवर न0 UP47F4986 चोरी की बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 विवेक कुमार
02. उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार
03. हे0का0 रामप्रवेश यादव
04. का0 सुर्यनाथ यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 05.02.2024, मानिटरिंग सेल

जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से चोरी करने के 06 आरोपी अभियुक्त को हुई 07 वर्ष का कठोर कारावास व रूपये 50,000-50,000/- अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप चोरी करने के आरोपी अभियुक्तगण 01. बलिकरन वर्मा 02. श्रवण कुमार सिंह 03. इन्टू सिंह उर्फ राम सिंह 04. अमर बहादुर उर्फ बहादुर 05. राजेश यादव 06. दिनेश उर्फ दिन्ने
को 07 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 50,000-50,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोप में 06 अभियुक्तगण 01. बलिकरन वर्मा 02. श्रवण कुमार सिंह 03. इन्टू सिंह उर्फ राम सिंह 04. अमर बहादुर उर्फ बहादुर 05. राजेश यादव 06. दिनेश उर्फ दिन्ने को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री घनश्याम पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना को0 मनकापुर के पैरोकार का0 मधुसूदन सिंह, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 चन्दा देवी के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा /विशेष न्यायाधीश कोर्ट द्वारा अभियुक्तगण 01. बलिकरन वर्मा 02. श्रवण कुमार सिंह 03. इन्टू सिंह उर्फ राम सिंह 04. अमर बहादुर उर्फ बहादुर 05. राजेश यादव 06. दिनेश उर्फ दिन्ने को 07 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को रु0 50,000-50,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. बलिकरन वर्मा पुत्र स्व0 ओंकार वर्मा निवासी वीरपुर थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।
02. श्रवण कुमार सिंह पुत्र पारसनाथ सिंह निवासी रन्धापुरवा कादीपुर, थाना कर्नैलगंज, जनपद गोण्डा।
03. इन्टू सिंह उर्फ राम सिंह पुत्र विन्देश्वरी उर्फ ढेल्लू सिंह निवासी बबुरास थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
04. अमर बहादुर उर्फ बहादुर पुत्र जंगबहादुर पासवान निवासी नया पुरवा राजापुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
05. राजेश यादव पुत्र स्व0 शिवप्रसादर यादव निवासी निबिहवा तुर्काडीहा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
06. दिनेश उर्फ दिन्ने पुत्र जंगबहादुर पासवान निवासी नया पुरवा मौजा राजापुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-210/2017, धारा 379, 411, 413, 420 भादवि थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

बेस्ट कॉप ऑफ द मंथ माह जनवरी -2024

प्रेस नोट

दिनांक 05.02.2024, मीडिया सेल

जनपद गोण्डा।

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन द्वारा बेस्ट कॉप ऑफ द मंथ के लिए मुख्य आरक्षी आदित्यनाथ यादव को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन महोदय द्वारा गोरखपुर जोन के सभी जनपदों के माह जनवरी 2024 सर्वश्रेष्ठ व सराहनीय कार्य करने वाले बेस्ट कॉप ऑफ द मंथ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिसमें जनपद गोंडा के थाना खरगूपुर के बेस्ट कॉप ऑफ द मंथ मुख्य आरक्षी आदित्यनाथ यादव को भी अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उक्त आरक्षी द्वारा मुकदमें में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने, सम्मन तामिला, बीडब्लू, बीट सूचना, एच0एस0 चेकिंग, शस्त्र सत्यापन कराते हुए जनसुनवाई, आईजीआरएस, प्रार्थना पत्र का निस्तारण समयपूर्वक कर विधिक कार्यवाही की गयी तथा आपरेशन त्रिनेत्र/दृष्टि के तहत अपने आवंटित हल्के/बीट में ग्राम प्रधानों, सम्भ्रान्त व्यक्तियों व व्यपारी बन्धुओं को जागरूक कर कैमरों को लगवाया गया।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनांक 05.02.2024</u>

<u>शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-</u>

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>